अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति जे. एम. टंडन से पहले

भगवान सिंह, वादी-अपीलकर्ता।

बनाम

कालू—प्रतिवादी-प्रतिवादी।

1968 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 176

18 जनवरी 1978.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V) अधिनियम (1976 का 104) और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित - धारा 122, 128 (1) और 157, आदेश 22 नियम 2-बी और 4 (3) - एक की मृत्यु प्रतिवादी-प्रतिवादी - मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों ने ओह रिकॉर्ड को सीमा के भीतर नहीं लाया - मुकदमा - क्या निरस्त किया गया - उच्च न्यायालय द्वारा किए गए संशोधन - क्या संशोधित संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत हैं।

माना गया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के नियम 4 में उप-नियम (3) को प्रतिस्थापित करते हुए किया गया संशोधन। 1908 संहिता के मुख्य भाग में निहित प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है और धारा 157 के तहत, पुरानी संहिता के तहत बनाए गए नियम लागू रहेंगे, बशर्ते वे वर्तमान संहिता के अनुरूप हों। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा किए गए संशोधन को वर्तमान संहिता के तहत भी प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किया गया संशोधन संहिता के मुख्य भाग में निहित प्रावधानों के विरुद्ध असंगत नहीं है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1 फरवरी 1977 से वर्तमान संहिता के लागू होने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा संहिता के आदेश 22 के नियम 2 के बाद नियम 2-ए और 2-बी जोड़ने और उसके नियम 4 में उप-नियम (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा किए गए संशोधन की वैधता। इस प्रकार, जहां प्रतिवादी-प्रतिवादी की मृत्यु पर, उसके कानूनी प्रतिनिधियों को सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है, तो मुकदमा समाप्त नहीं होता है।

(पैरा 3 एवं 4)

श्री बनवारी लाल सिंगल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव की अदालत के 24 नवंबर, 1967 के फैसले से नियमित दूसरी अपील, श्री जसपाल सिंह, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, रेवाडी के फैसले को संशोधित करते हुए, दिनांक 15 नवंबर अक्टूबर, 1966, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादी को योजना पूर्व में चिह्नित आर. 1, आर. 8, आर. 9 और आर. 4 में कोई भी निर्माण करने से रोक दिया गया। पी.डब्लू. 1/1 और प्रार्थना के अनुसार अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री पारित करना और प्रतिवादी को योजना पूर्व में आर. 2, आर. 3, आर. 4 और आर. 10 चिह्नित चबूतरा को ध्वस्त करने का आदेश देना। पी.डब्लू. 1/1 वादी के पक्ष में और प्रतिवादी मुकदमे की लागत वहन करेगा) इस हद तक कि प्रतिवादी को अक्षर आर 4, आर 9, आर 8 और द्वारा दर्शाई गई साइट पर कोई भी निर्माण करने से रोका जाएगा। साइट योजना में आर. 11 पूर्व. पी.डब्लू. 1/1 वादपत्र के साथ संलग्न किया गया और अन्य स्थल के संबंध में वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया और मरीजों को पूरी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

दावा: इस आशय के स्थायी निषेधाज्ञा के लिए कि प्रतिवादी को मैदान के साथ संलग्न योजना में आर. 1, आर. 8, आर. 9 और आर. 4 चिह्नित भाग में कोई भी निर्माण करने से स्थायी रूप से रोका जाए" और अनिवार्य निषेधाज्ञा देने के लिए इस हद तक कि प्रतिवादी को वादपत्र के साथ संलग्न योजना में दर्शाए अनुसार आर. 2, आर. 3, आर. 4, आर. 10 अंकित चबूतरा हटाने का आदेश दिया जाए।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता बी.एस. भाटिया।

प्रतिवादी की ओर से वकील डी. सी. अहलूवालिया।

निर्णय

न्यायमूर्ति जे. एम. टंडन

(1) भगवान सिंह, वादी-अपीलकर्ता और कल्लू प्रतिवादी-प्रतिवादी (अब मृतक गांव टांकरी, तहसील रेवाड़ी, जिला गुड़गांव के निवासी हैं, जहां उनके पास आवासीय घर हैं। उनके घरों का स्थान योजना प्रदर्शनी पी.डब्ल्यू. 1/1 में दिखाया गया है। भगवान सिंह के घर की ओर जाने वाला एक रास्ता है जो कल्लू के घर के सामने से गुजरता है। कल्लू ने अपने घर के सामने खुली जगह के एक हिस्से पर एक चबूतरा बनाया है, जिसे आर. 2, आर. 3, आर के रूप में दर्शाया गया है। .4 और आर.10 और शेष खुली जगह में नींव खोदी गई जिसे योजना में आर.1, आर.8, आर.9 और आर.4 के रूप में दर्शाया गया है प्रदर्शनी पी.डब्लू. 1/1. इस निर्माण से दुखी होकर भगवान सिंह ने कल्लू के विरुद्ध अनिवार्य निषेधाज्ञा का वाद दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कल्लू के घर के सामने की खुली जगह, जिस पर चबूतरा का निर्माण किया गया है और चारदीवारी का निर्माण प्रस्तावित था। , उसके घर की ओर जाने वाले रास्ते का हिस्सा था और इसलिए, कल्लू को निर्माण खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस मुकदमे का फैसला श्री जसपाल सिंह ने किया था। अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, रेवाडी ने आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 1986 द्वारा कल्लू प्रतिवादी के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी, जिसमें उसे आर. 1, आर. 8, आर. 9 और आर. 4 और उससे आगे चिह्नित हिस्से में कोई भी निर्माण करने से रोका गया था। उन्हें योजना प्रदर्श पी.डब्ल्यू में अंकित आर, 2, आर. 3, आर. 4 एवं आर. 10 अंकित चबूतरा को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। 1/1. उस डिक्री के खिलाफ व्यथित होकर, कल्लू ने एक अपील दायर की और 24 नवंबर, 1967 के आदेश के तहत गुड़गांव के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने उसका निपटारा कर दिया। निचली अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट की डिक्री को इस हद तक बरकरार रखा, जितना कल्लू प्रतिवादी करेगा। आर. 4, आर. 9, आर. 8 और आर. 11 अक्षर द्वारा दर्शाए गए स्थल पर कोई निर्माण न करें। आर. 2, आर. 3 अंकित चबूतरा सहित स्थल के शेष भाग के संबंध में भगवान सिंह वादी का दावा , आर. 4 और आर. 10 को अस्वीकार कर दिया गया और इस तरह उस सीमा तक ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया। इसी आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील भगवान सिंह द्वारा निर्देशित है।

(2) कल्लू प्रतिवादी-प्रतिवादी की लगभग नौ महीने पहले मृत्यु हो गई और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। उन्हें मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, श्री डी. सी. अहलूवालिया, अधिवक्ता, जिन्होंने कल्लू के जीवनकाल में उनका प्रतिनिधित्व किया था, न्याय मित्र के रूप में उपस्थित होना चाहते थे।

(3) श्री अहलूवालिया ने तर्क दिया है कि चूंकि एकमात्र प्रतिवादी - प्रतिवादी कल्लू के कानूनी प्रतिनिधियों को एक सीमा के भीतर पक्षकार बनाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था, अपीलकर्ता का मुकदमा आदेश 22, नियम 4 (3), सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समाप्त हो जाएगा। (इसके बाद इसे संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है)। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए संशोधन के मद्देनजर, जिसके तहत आदेश 22 के नियम 4 के उप-नियम (3) को प्रतिस्थापित किया गया था, अपीलकर्ता का मुकदमा समाप्त नहीं होगा। आदेश 22, नियम 4(3), इस प्रकार है: -

"जहां कानून द्वारा सीमित समय के खिलाफ उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है, मृत प्रतिवादी का मुकदमा समाप्त हो जाएगा।"

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश 22 के मौजूदा नियम 2 के बाद नियम 2-ए और 2-बी शामिल किए और अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. द्वारा संशोधन करके आदेश 22 के नियम 4 में उप-नियम (3) भी प्रतिस्थापित किया। 27/सी.ए. 5/1908/एस. 127/75, दिनांक 17 मार्च 1975। आदेश 22 के नियम 4 के नियम 2-ए, 2-बी और उप-नियम (3), यथा संशोधित, 4 के अंतर्गत पढ़ें: -

"2-ए. किसी मामले में उपस्थित होने वाले प्रत्येक वकील को मुकदमे के एक पक्ष की मृत्यु के बारे में पता चलता है (चाहे वह उसके लिए उपस्थित हुआ हो या नहीं) को उस पक्ष की मृत्यु के बारे में अदालत, अदालत और उस व्यक्ति को सूचना देनी होगी जो प्रमुख व्यक्ति है।
2-बी. मृतक-प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने का कर्तव्य मृतक के उत्तराधिकारियों का होगा, न कि उस व्यक्ति का जो डोमिनस लिटस है।
4(3) जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, मृतक-प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा समाप्त नहीं होगा और मृत्यु के बावजूद फैसला सुनाया जाएगा और वही बल और प्रभाव होगा मानो मृत्यु होने से पहले इसका उच्चारण किया गया हो।"

श्री डी. सी. अहलूवालिया ने तर्क दिया है कि 1975 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया संशोधन, जिसके तहत आदेश 22 के नियम 4 में उप-नियम (3) को प्रतिस्थापित किया गया था, नई संहिता के लागू होने के बाद लागू नहीं होगा। 1 फरवरी, 1977 से प्रभावी सिविल प्रक्रिया। उन्नत कारण यह है कि उच्च न्यायालय संहिता की धारा 122 के तहत केवल ऐसे नियम बना सकते हैं जो उसके निकाय में प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, जैसा कि उपधारा (1) में प्रदान किया गया है। संहिता की धारा 128 का। इस विवाद में कोई दम नहीं है. मार्च, 1975 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा संहिता के आदेश 22 के नियम 4 में उप-नियम (3) को प्रतिस्थापित करते हुए किया गया संशोधन निश्चित रूप से संहिता के मुख्य भाग और उसके अंतर्गत निहित प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। धारा 157, पुरानी संहिता के तहत बनाए गए नियम लागू रहेंगे, बशर्ते वे वर्तमान संहिता के अनुरूप हों। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मार्च, 1975 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए संशोधन को वर्तमान संहिता के तहत भी प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि मार्च, 1975 में किया गया संशोधन नहीं है वर्तमान के मुख्य भाग में निहित प्रावधानों से असंगत
कोड. इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1 फरवरी, 1977 से वर्तमान संहिता के लागू होने से मार्च, 1975 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नियम 2-ए जोड़कर किए गए संशोधन की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदेश 22 के नियम 2 के बाद 2-बी और उसके नियम 4 में उप-नियम (3) को प्रतिस्थापित करना।

(4) परिणामस्वरूप, मेरा मानना है कि कल्लू प्रतिवादी-प्रतिवादी की मृत्यु वर्तमान अपील को समाप्त नहीं करेगी।

(5) मामले के गुण-दोष पर आते हुए, जहां तक आर. 4, आर. 9, आर. 8 और आर. 11 के रूप में चिह्नित भाग के संबंध में भगवान सिंह अपीलकर्ता के दावे का संबंध है, यह विद्वान प्रथम निचली अपील द्वारा बरकरार रखा गया है। कोर्ट भी. इन कार्यवाहियों में विवाद R. 1, R. 3, R. 4 और R. 11 अंकित शेष भाग के बारे में है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पंजीकृत विक्रय-पत्र प्रदर्शनी पी.डब्ल्यू की प्रति के आधार पर इस भाग के बारे में निष्कर्ष दिया। 2/1 जिससे कल्लू ने अपना मकान सतवान एवं श्रीमती से खरीदा। 1936 में अशर्फी। यह वही घर है जिसके सामने विवादित खाली जगह है और जिसके एक हिस्से पर कल्लू ने चबूतरा बनवा रखा है। यह खाली जगह कल्लू के घर के पूरब में है. विक्रय पत्र प्रदर्शनी की प्रति में पी.डब्लू. 2/1, कल्लू द्वारा खरीदे गये मकान के पूर्व दिशा में एक रास्ता दर्शाया गया है। यदि विक्रय पत्र की इस प्रति पर भरोसा किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि घर के पूर्व में खाली जगह एक चौराहा थी। कल्लू ने वह संपत्ति खरीदी जिसका स्वामित्व सतवान और श्रीमती के पास था। अशर्फी. घर के पूर्व में खाली जगह जिसे एक

मुख्य मार्ग के रूप में वर्णित किया गया था, उस पर विक्रेताओं का स्वामित्व नहीं था। यह दस्तावेज़ अपीलकर्ता भगवान सिंह के दावे का काफी हद तक समर्थन करता है कि विवादित स्थल आर. 1, आर. 3, आर. 4 और आर. एच एक मार्ग का हिस्सा है। विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने इस दस्तावेज़ पर इस आधार पर भरोसा करने से इनकार कर दिया कि यह बिक्री विलेख की एक प्रति थी और एक द्वितीयक साक्ष्य होने के कारण मूल साक्ष्य को बुलाए बिना और द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगे बिना इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। . अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत का दृष्टिकोण गलत था क्योंकि बिक्री-विलेख प्रदर्शनी पी.डब्लू. की प्रति। 2/1 को ट्रायल कोर्ट में कल्लू के विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया गया था और इस तरह इसे मूल साक्ष्य को बुलाए बिना और द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगे बिना साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता था। विक्रय विलेख प्रदर्श P.W.2/I की प्रति में ट्रायल कोर्ट में कल्लू के वकील के हाथ में इसे स्वीकार करते हुए एक नोट है। मैं अपीलकर्ता के विद्वान वकील से सहमत हूं कि विक्रय पत्र की प्रति कल्लू के विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, मूल विक्रय पत्र को बुलाने और द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे साक्ष्य में स्वीकार्य बनाने के लिए। कल्लू के विद्वान वकील द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद, इसे तुरंत साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता था और इस मामले में ऐसा किया गया। विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने विक्रय-पत्र प्रदर्शनी पी.डब्ल्यू 2/1 की प्रति पर भरोसा न करके गलती की।

(6) जैसा कि ऊपर देखा गया है, विक्रय-पत्र प्रदर्शनी की प्रति पी.डब्लू. 2/1 स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के मामले का समर्थन करता है कि घर के पूर्व में खाली जगह: कल्लू द्वारा खरीदा गया एक रास्ता था। अपीलकर्ता का यह दावा कि कल्लू के घर के पूर्व में आर. 1, आर. 3, आर. 4 और आर. 11 चिह्नित खाली जगह एक रास्ता है, निचली अपीलीय अदालत ने गलत तरीके से खारिज कर दिया।

(7) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं इस अपील को स्वीकार करता हूं और। विद्वान निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द करते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट के 15 अक्टूबर, 1966 के फैसले और डिक्री को पूरी तरह से बहाल किया जाए। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

एच.एस.बी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वहअपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा